

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 12/14 क्लेम

संस्थिति दिनांक 16.01.2014

- 1- श्रीमती जलदेवी पत्नी रामअवतार उम्र 40 वर्ष।
- 2- टेकसिंह पुत्र रामअवतार उम्र 14 वर्ष।
- 3- राजकुमार पुत्र रामअवतार उम्र 9 वर्ष। नावालिग सरपरस्त माँ श्रीमती जलदेवी पत्नी रामअवतार। समस्त निवासी ग्राम सर्वा का पुरा थाना गोहद चौक परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----आवेदकगण

बनाम

- 1- महावीर सिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 32 वर्ष। निवासी निगोतिया पेट्रोलपम्प के पीछे गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.।

-----वाहन मालिक

- 2- बेदराम पुत्र भागीरथ जाटव उम्र 43 वर्ष। निवासी समता नगर मालनपुर थाना मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.।

-----वाहन चालक

आवेदकगण द्वारा श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

अनावेदक क्रं0 1 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

अनावेदक क्र. 2 द्वारा श्री पी.एन.भट्टेले अधिवक्ता।

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 22-7-2015 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदकगण ने बजाज स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06/जी-8852 के चालक, वाहन स्वामी के विरुद्ध उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप रामअवतार की

मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिस होने के आधार पर 47,50,000/- रुपये एवं ब्याज दिलाये जाने वाबत् क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है ।

02. आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 17.04.13 को 07:45 बजे शाम रामअवतार जो कि आवेदिका क्रमांक 1 का पति है और 2 व 3 का पिता है मजदूरी कर के सर्वाकापुरा की तरफ से आ रहा था। जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड पार करने लगे उसी समय गोहद चौराहे की तरफ से बजाज स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 का चालक अनावेदक क्रमांक 2 स्कूटर को तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और रामअवतार को टक्कर मार दी जिससे कि रामअवतार को सिर व छाती में गंभीर चोटें आई और उसके फ्रेक्चर हो गया। उसे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र गोहद में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी हालत खराब होने से उसे जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कराया गया जहाँ उसका इलाज व ऑपरेशन होने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हुआ और इलाज के दौरान ही दिनांक 04.05.13 को उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अशोक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पुलिस थाना गोहद को की गई थी जिस पर अपराध क्रमांक 90/13 धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 एवं [39/152](#), 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. आवेदनपत्र में आगे यह बताया गया है मृतक रामअवतार की घटना के समय उम्र 45 वर्ष की थी जो कि हृष्ट पुष्ट होकर के बिल्डिंग निर्माण में श्रमिक का काम करता था जिससे पांच सौ रुपये प्रतिदिन आय अर्जित कर लेता था इस प्रकार मासिक पन्द्रह हजार रुपये और वार्षिक 1,80,000/- रुपये आमदनी अर्जित कर लेता था। उसकी असमायिक मृत्यु हो जाने से आवेदिका क्रमांक 1 जो कि उसकी पत्नी है पति के सुख से बंचित हो गई तथा आवेदक क्रमांक 2 व 3 अपने पिता के प्यार, दुलार और आश्रितता से बंचित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटना घटित होने के पश्चात् रामअवतार को जयरोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में भर्ती कराना पडा है जहाँ उनका इलजा और ऑपरेशन भी हुआ था जो कि दिनांक 17.04.13 से मृत्यु दिनांक 04.05.13 तक भर्ती रहा जिसके इलाज आदि में 70,000/- रुपये व्यय हुए। अंतिम संस्कार में भी पच्चीस हजार रुपये व्यय हुए। आवेदकगणों को शारीरिक और मानसिक कष्ट भी सहन करना पडा। इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 47,50,000/- रुपये अनावेदकगण से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने जबाव में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों को इंकार करते हुए यह बताया है कि मृतक कोई व्यवसाय नहीं करता था वह शराब पीने

का आदी था और उसकी आय का कोई साधन नहीं था तथा कोई काम धंधा नहीं करता था। मृतक को गिरने से चोटें आई थी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। अनावेदक क्रमांक 1 का उक्त घटना से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने स्कूटर को अनावेदक क्रमांक 2 को दिनांक 06.04.13 को 3200/- रुपए में बिक्रय कर दिया है और समस्त कागजात एवं सेललेटर पर हस्ताक्षर कर अनावेदक क्रमांक 2 को सुपुर्द कर दी है जिसकी विधिवत लिखापट्टी गवाहों के समक्ष हुई है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 1 की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उक्त वाहन से घटी हुई घटना के लिए नहीं है। उसके विरुद्ध आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा अपने कथन में आवेदक के आवेदन के अभिकथनों को स्वीकार करते हुए यह बताया है कि उसका उक्त दुर्घटना से कोई संबंध सरोकार नहीं है और उसके द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की है। उसके विरुद्ध पुलिस गोहद चौराहे से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही से हुई है। अनावेदक क्रमांक 2 के स्कूटर से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति बावत् आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1-	क्या दिनांक 17.04.2013 को 07:45 बजे ग्राम सर्वा गोहद भिण्ड आम रोड पर अनावेदक क्र. 2 द्वारा अनावेदक क्र. 1 के स्वामित्व के बजाज स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 को तेजी व लापरवाही से चलाकर रामअवतार को टक्कर मारकर चोटें पहुँचाकर उपहति कारित की?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों के कारण रामअवतार की दिनांक 04.05.13 को मृत्यु कारित हुई?	
3	क्या रामअवतार बिल्डिंग निर्माण के कुशल श्रमिक का काम कर पांच सौ रुपए प्रतिदिन इस प्रकार 15,000/- रुपए प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता था?	

4	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है?यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्रमांक-1 व 2 :-

07. आवेदिका जलदेवी आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 17.04.13 को शाम को करीब पौने आठ बजे उसके पति रामअवतार मजदूरी कर के अपने गांव सर्वा का पुरा आ रहे थे। जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड हाईवे पार करने लगे, गोहद चौराहे के तरफ से अनावेदक क्रमांक 2 स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पति रामअवतार को टक्कर मार दी जिससे उसके पति के सिर व छाती में एवं शरीर में अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई और सिर में फ्रैक्चर हो गया, उनका प्रारंभिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में कराया गया। चोटें अधिक होने से उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर में इलाज चला और ऑपरेशन भी हुआ। उसके उपरांत भी ठीक नहीं हुआ और दिनांक 04.05.2013 को उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में रिपोर्ट मृतक के भाई अशोक के द्वारा थाने में की गई थी जो कि आवेदनपत्र प्र.पी. 1 उसके द्वारा दिया गया था जिस पर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/13 धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196 एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में संचालित है। आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जो कि अभियोगपत्र प्र.पी. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, देहातीनालसी प्र.पी. 3, अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 4, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 व 6, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7, चिकित्सीय मुलाहिजा फार्म प्र.पी. 8, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9, पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 10 और मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 11 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

08. प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वभाविक रूप से स्वीकार की है कि जब

उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था तब वह मौके पर नहीं थी। घटना के बारे में उसे रात आठ बजे पता चल गया था। ऐसी दशा में यद्यपि उक्त साक्षिया घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु घटना के पश्चात् उसे पति के साथ हुई दुर्घटना का पता चला था और उसके द्वारा पति को चोटें भी देखी गई थी। प्रतिपरीक्षण में यद्यपि साक्षिया के कथनों में उसके द्वारा प्रारंभिक कथनों में महावीर के द्वारा घटना के समय स्कूटर चलाया जाना और टक्कर मारने के संबंध में उल्लेख आया है, किन्तु क्लेम आवेदनपत्र में स्पष्ट रूप से घटना के समय स्कूटर अनावेदक क्रमांक 2 बेदराम के द्वारा चलाया जाना के संबंध में बताया गया है। ऐसी दशा में यदि साक्षिया के द्वारा प्रारंभिक कथन में कोई विसंगति आई भी है तो इस आधार पर जबकि आवेदक क्रमांक 1 महावीर उक्त स्कूटर का पंजीकृत स्वामी है और अनावेदक क्रमांक 2 बेदराम उसे घटना के समय उसका आधिपत्यधारी होकर उसे चला रहा था, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

09. उपरोक्त घटना के संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी अशोक अ0सा0 2 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी भी है के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक 17.04.2013 को पौने आठ बजे करीब वह व उसका भाई रामअवतार घर जाने के लिए रोड पार कर रहे थे, तभी गोहद चौराहे की ओर से स्कूटर बजाज कम्पनी का जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 था का चालक अनावेदक क्रमांक 2 बेदराम तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके भाई रामअवतार को टक्कर मार दी जिससे उसके शरीर व छाती व सिर में गंभीर चोटें आईं। मौके पर पुलिस आ गई थी, उसके भाई को गोहद अस्पताल लेकर आए थे और चोटें अधिक होने से ग्वालियर रेफर कर दिया था। दिनांक 04.05.2013 को उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा की गई थी।

10. प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 3 जो कि वर्तमान साक्षी अशोक के द्वारा दर्ज कराई गई है, उसमें भी स्पष्ट रूप से अपने भाई रामअवतार के साथ उसके घर के जाने के लिए रोड पार करना और इसी दौरान स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 के चालक के द्वारा उपेक्षा पूर्वक एवं तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए उसके भाई रामअवतार को टक्कर मार दी और रामअवतार को चोटें आने का उल्लेख है जो कि उक्त रिपोर्ट घटना के 45 मिनट के अंदर दर्ज कराई गई है उसके आधार पर प्रकरण की एफ.आई.आर प्र.पी. 2 दर्ज की गई है। इस प्रकार वर्तमान साक्षी अशोक जिसके द्वारा घटना की जानकारी घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के दी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के प्रकार एवं उसके नम्बर का उल्लेख है। साक्षी अशोक के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने स्कूटर का नम्बर नोट

कर लिया था जो कि एम.पी. 06 जी. 8852 था। दुर्घटना उसके सामने ग्राम सर्वा के पास हाइवे पर होना भी प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट किया है तथा यह बताया है कि जैसे ही उसके भाई ने रोड पर पेर रखा था तभी दुर्घटना हो गई। यद्यपि देहातीनालसी रिपोर्ट में अनावेदक वेदराम का नाम लिखा देना वह बताया है, यद्यपि वेदराम के नाम का उल्लेख नहीं आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर इस संबंध में साक्षी के साक्ष्य कथन एवं उसकी विश्वसनीयता को प्रतिकूलित मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। इसप्रकार साक्षी अशोक के साक्ष्य कथन से स्पष्ट रूप से दुर्घटना स्कूटर चालक के द्वारा स्कूटर को तेजी व लापरवाही से चलाने से घटित होना प्रमाणित है। घटना के समय स्कूटर अनावेदक क्रमांक 2 वेदराम के द्वारा चलाना साक्षी अशोक के कथन में स्पष्ट रूप से आया है।

11. आवेदक पक्ष के द्वारा दुर्घटना के संबंध में बताए गए तथ्यों एवं दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 2 वेदराम के द्वारा स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने की पुष्टि अपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से भी होती है जो कि इस संबंध में दुर्घटना के तुरंत पश्चात् दुर्घटना की देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 3 जो कि साक्षी अशोक के द्वारा दर्ज कराई गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज की गई है। घटना स्थल का नक्शामोका प्र0पी. 4 बनाया गया है एवं नक्शामौका प्र.पी. 4 से भी स्पष्ट है कि सड़क के किनारे पर उक्त घटना हुई है जो कि चालक की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रश्नाधीन वाहन स्कूटर की जप्ती घटनास्थल से की गई है जो कि जप्तीपत्रक प्र.पी. 5 है। दुर्घटना के कारण रामअवतार को आई हुई चोटों का परीक्षण गोहद अस्पताल में हुआ है जो कि चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र.पी. 8 तथा रामअवतार की इलाज के दौरान जे.ए.एच. ग्वालियर में मृत्यु दिनांक 4.5.13 को होने के संबंध में शव परीक्षण आवेदनपत्र प्र.पी.9 और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 10 से पुष्ट होता है जो कि सिर में आई हुई चोटों के कारण उसकी हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो जाने बावत् शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख आया है। रामअवतार को सिर में चोट आना चिकित्सीय प्रतिवेदन में भी स्पष्ट रूप से आया है और रामअवतार की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप उसे आई हुई चोटों से होने का तथ्य प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों और उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से आधार पर स्पष्ट होती है। वाहन की मैकेनिकल जाँच रिपोर्ट में वाहन के हेडलाइट टूटी होना और सामने का मटगार्ड टूटा होना पाया गया जो कि वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित करने के तथ्य की पुष्टि करता है। प्रकरण में विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 2 वेदराम के द्वारा दुर्घटना के समय उक्त स्कूटर को तेजी और लापरवाही से चलाया जाना पाने से उसकी गिरफ्तारी प्र.पी. 7 के अनुसार की गई तथा

उसके विरुद्ध धारा 279, 337, 304ए भा0दं0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि न्यायालय में विचारणीय है। इस प्रकार दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर भी दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने एवं दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक रामअवतार की मृत्यु हो जाने की पुष्टि होती है।

12. अनावेदक पक्ष के द्वारा प्रतिखण्डन में साक्षी वेदराम अनावेदक क्र. 2 के साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि झूठी दुर्घटना के संबंध में झूठी क्लेम याचिका पेश की गई है। जबकि उसका कथित स्कूटर से कोई संबंध सरोकार नहीं है। उसके द्वारा झूठे मुकद्दमे पेश करने के संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की गई जो कि शिकायत प्र.डी. 1 लगायत 4 पेश करना बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस गोहद चौराहा के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके विरुद्ध न्यायालय में दुर्घटना का केस चल रहा है। साक्षी के द्वारा यद्यपि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की गई है, किन्तु कहीं भी उसके द्वारा की गई शिकायतों की जाँच में उसके द्वारा शिकायत में बताई गए तथ्यों को सही होना नहीं पाया गया है, बल्कि प्रकरण की विवेचना उपरान्त अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने का तथ्य पाया जाना से अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। ऐसी दशा में साक्षी वेदराम के द्वारा लिया गया आधार कि प्रतिपरीक्षण में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रमाणित किया गया साक्ष्य प्रतिखण्डित नहीं होता है।

13. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन वाहन स्कूटर जिससे दुर्घटना घटित हुई है। उक्त स्कूटर को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा दिनांक 06.04.2013 को अनावेदक क्रमांक 2 को बिक्रय कर देने और उसे स्कूटर दे देना बताया है जो कि इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 महाबीर तथा उसके साक्षी रामकरन सिंह अनावेदक क्रमांक 1 का साक्षी क्रमांक 2 जो कि लिखापट्टी का साक्षी है के द्वारा उक्त स्कूटर अनावेदक क्रमांक 2 को बिक्रय कर देना और इस संबंध में प्र.डी. 5 की लिखापट्टी होना बताया है। प्र.डी. 5 के लिखितम बिक्रयपत्र से स्पष्ट है कि वाहन को बिक्रय करने के संबंध में संविदा हुई है। यद्यपि उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन परिवर्तित होने के संबंध में प्रमाण नहीं है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त वाहन का आधिपत्य घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 के पास होने का तथ्य अनावेदक क्रमांक 1 के साक्ष्य कथन तथा उसके साक्षी रामकरनसिंह के कथन से स्पष्ट होता है। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के नाम पर था। घटना दिनांक को उसका रजिस्टर्ड स्वामी परिवर्तित होकर अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी हो गया हो ऐसा कहीं दर्शित नहीं

होता है। ऐसी दशा में घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 उसका रजिस्टर्ड स्वामी होना पाया जाता है।

14. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 2 वेदराम के द्वारा घटना दिनांक को स्कूटर क्रमांक एम. पी. 06 जी. 8852 जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का था को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है जिसमें कि रामअवतार को चोटें आई एवं जिस कारण दिनांक 04.05.13 को रामअवतार को आई हुई चोटों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तदनुसार वर्तमान बिन्दु प्रमाणित होना पाया जाता है और बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3—

15. आवेदिका श्रीमती जलदेवी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसका पति पांच सौ रूपए प्रतिदिन की आमदनी अर्जित कर लेता था जो कि बिल्डिंग निर्माण का कार्य कर 15,000/— रूपए प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता था। इस बिन्दु पर साक्षी अशोक आवेदक साक्षी क्रमांक 2 तथा साक्षी गेंदालाल आवेदक साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा भी मृतक रामअवतार के द्वारा उक्त आमदनी अर्जित कर लेने के संबंध में बताया गया है, किन्तु मृतक के द्वारा आमदनी अर्जित कर लेने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य जिससे कि वह 15,000/— रूपए मासिक आय अर्जित कर लेता हो पेश नहीं है और न ही जहाँ आवेदिका उसके पित डेढ साल से काम कर उक्त आय प्राप्त करना बता रहा ही, वहाँ से कोई भी दस्तावेज प्राप्त कर पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस बिन्दु पर आवेदिका एवं उसके साक्षी अशोक व गेंदालाल के मौखिक कथन के आधार पर जबकि मृतक रामअवतार के कुशल कारीगर होने के संबंध में कोई प्रमाणपत्र नहीं है और न ही आमदनी अर्जित करने के संबंध में कोई प्रमाण पेश है। उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कारीगरी कर पांच सौ रूपए प्रति दिन अर्थात् 15,000/— रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 4:—

16. वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 पर निकाले गए निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि दिनांक 17.04.13 को ग्राम सर्वा गोहद भिण्ड रोड पर हुई दुर्घटना में जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व के बजाज स्कूटर क्रमांक एम.पी. 06 जी. 8852 को तेजी व लापरवाही से चलाकर रामअवतार को टक्कर मारकर चोटें पहुचाई गई थी और उक्त

चोटों के फलस्वरूप रामअवतार की दिनांक 04.05.13 को मृत्यु हुई है। उक्त स्कूटर अनावेदक क्रमांक 2 के आधिपत्य का होना स्पष्ट है तथा घटना दिनांक को वह अनावेदक क्रमांक 2 के आधिपत्य का होकर के उसके द्वारा चलाया जाना प्रमाणित है। ऐसी दशा में प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दोनों का संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से होगा।

17. प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। मृतक पर आश्रितों में उसकी पत्नी आवेदिका क्रमांक 1 एवं उसके नाबालिग पुत्रियाँ आवेदिका क्रमांक 2 व 3 हैं। इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या तीन है। दुर्घटना के समय मृतक की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका के द्वारा उसकी उम्र 45 वर्ष की होनी बताई गई है। उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। मृतक रामअवतार जो कि दुर्घटना में घायल हुआ था और उसके शव परीक्षण आवेदनपत्र एवं शव परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट में उसकी उम्र 45 वर्ष की होनी दर्शाई गई है। इस प्रकार मृत्यु के समय मृतक की उम्र 45 वर्ष की होनी प्रमाणित है।

18. मृतक रामअवतार की आमदनी अर्जित करने का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि उसकी आमदनी 15,000/- रुपए मासिक प्राप्त करना प्रमाणित नहीं है। किन्तु वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो कि मजदूरी आदि कर के 3300/- रुपए प्रति माह आय अर्जित कर सकता है। इस प्रकार उसकी आमदनी के नुकसान के मद में प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। मृतक पर आश्रितों की संख्या 3 है, उसकी आमदनी 3300/- रुपए प्रतिमाह अभिधारित की गई है। आश्रितों की संख्या के अनुसार 1/3 भाग अपने पर व्यय करेगा। इस प्रकार प्रतिमाह 2200/- रुपए जो कि वार्षिक $2200 \times 12 = 26,400/-$ रुपए होगा। मृतक की उम्र के हिसाब से जो कि उसकी उम्र 45 वर्ष निर्धारित की गई है उस पर 14 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमदनी के नुसाकन के मद में $26,400 \times 14 = 3,69,600/-$ (तीन लाख उन्नतर हजार छह सौ रुपए मात्र) रुपए होगा। इसके अतिरिक्त मृतक की विधवा पत्नी जीवित है उसे सहचर्य की हानि के मद में उसे 25,000/- रुपए दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त मृतक के अंतिम संस्कार के रूप में 15,000/- रुपए आवेदकगण को दिलाया जाना उचित होगा। मृतक रामअवतार जो कि दिनांक 17.04.13 को दुर्घटना में घायल होने के उपरांत जे.ए.एच हॉस्पिटल ग्वालियर में इलाज चला है। उसके इलाज के संबंध में दवाई के पर्चे पेश किये गए हैं। बिल के अनुसार क्रय की गई दवाईयाँ 5663/- रुपए की हैं जो कि राउण्ड फिगर में 5660/- रुपए की हैं। उक्त राशि भी आवेदकगण को दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 4,15,260/- (चार लाख पंद्रह हजार दो सौ साठ रुपए मात्र) रुपए होगी।

19. उक्त प्रतिकर की अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का

संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदनपत्र पेश होने से बसूली तक 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तदनुसार आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 4,15,260/- रूपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पाने की अधिकारी पाए जाते हैं। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 6-

20. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवेदनपत्र के आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदकगण अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिकर स्वरूप 4,15,260/- प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
2. उक्त प्रतिकर की राशि पर आवेदकगण 6 प्रतिशत वार्षिक की दर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक साधारण व्याज पाने के अधिकारी होंगे।
3. उक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर 2,00,000/- आवेदिका क्रमांक 1 प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी जो कि उसको प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी सावधि खाते में जमा किया जाए जिसका व्याज त्रैमासिक रूप से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। शेष 40 प्रतिशत राशि नगद भुगतान की जाए। शेष राशि अनावेदक क्रमांक 2 व 3 बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी हैं जो कि उनके नावालिग होने से उनको प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि उनकी माँ बनी सरपरस्त जलदेवी के माध्यम से उनके वयस्क होने तक सावधि खाते में जमा किए जाए।
4. अभिभाषक शुल्क एक हजार रूपए निर्धारित की जाती है।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०

गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०

गोहद जिला भिण्ड